न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कोटड़ी (भीलवाड़ा)

पीठासीन अधिकारी :– श्री भागीरथ साख, आर.ए.एस.
प्रकरण संख्या 46/2017

प्रा.प. अन्तर्गत धारा 111,128 रा.भू.रा.अधि.1956

अनवान

प्यारा पिता चन्द्रा माली जाति माली उम्र वयस्क निवासी पारोली तहसील कोटडी जिला भीलवाडा

प्रार्थी

बनाम

1. रामकरण प्रजापत उम्र वयस्क निवासी धनवाडा तहसील कोटडी जिला भीलवाडा
2. बक्षा गाडरी उम्र वयस्क निवासी धनवाडा तहसील कोटडी जिला भीलवाडा
3. भोजा गुजर उम्र वयस्क निवासी धनवाडा तहसील कोटडी जिला भीलवाडा
4. लादु कुम्हार उम्र वयस्क निवासी धनवाडा तहसील कोटडी जिला भीलवाडा
5. राजस्थान राज्य जरिय तहसीलदार साहब, कोटडी (भीलवाडा)

विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111,128 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956

–:: आदेश ::–

दिनांक 11-2-17

प्रार्थी की ओर से एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111,128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 के तहत इस न्यायालय में दिनांक 11/02/2017 को प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वाके **ग्राम धनवाडा, पटवार हल्का धनवाडा, भू.अ. क्षैत्र पारोली, तहसील कोटडी जिला भीलवाडा में आराजी संख्या 4372/59 रकबा 3 बीघा** भूमि स्थित है। वादग्रस्त भूमि के विपक्षीगण के मध्य आराजी मुतदायिवा के सीमाचिन्ह नही होने से आये दिन सीमा संबंधी विवाद उत्पन्न होता रहता है जिसमें प्रार्थी अपने खाते/सयुक्त खाते की कृषि भूमि की पत्थरगढी के आदेश प्रदान कराये जावें।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र इस न्यायालय में दर्ज रजिस्टर किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया एवं प्रकरण केवल सीमा संबंधी है जिससे किसी का कोई हक प्रभावित नही होता है। विपक्षीगण का कोई हक प्रभावित नही होता है। खातेदारी हक प्रार्थी का है इस कारण प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने के आदेश प्रदत किये जाते है एवं संबंधित भू.अ.निरीक्षक **पारोली** को कमिश्नर नियुक्त किया जाकर उभयपक्ष को सुचित करने के उपरान्त पालना रिपोर्ट मार्फत तहसीलदार कोटडी के तलब की जावें।

–:: आदेश ::–

प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर आदेश दिये जाते है कि तहसील कोटडी के वाके **ग्राम धनवाडा, पटवार हल्का धनवाडा, भू.अ. क्षैत्र पारोली, तहसील कोटडी जिला भीलवाडा में आराजी संख्या 4372/59 रकबा 3 बीघा** भूमि पर पत्थरगढी उभयपक्षकारान को सुचित किया जाकर बाद तिथी निर्धारण के पत्थरगढी की जावें। प्रार्थी इस कार्य के लिए कमिश्नर फीस तहसीलदार कोटडी के निर्देशानुसार राशि 500 रूपये वक्त पत्थरगढी कमिश्नर भू.अ.निरीक्षक को जमा करायेगा। खर्चा राशि जमा होने पर भू.अ.निरीक्षक द्वारा पत्थरगढी की जाकर पालना करे।

सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
कोटडी जिला–भीलवाडा

प्रतिलिपि :– तहसीलदार कोटडी को भेजकर लेख है कि आवेदक की पत्थरगढी कराकर सात योम में पालना रिपोर्ट प्रस्तुत करें।

सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
कोटडी जिला–भीलवाडा